हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सोलहवां सत्र

वीरवार, 24 अगस्त, 2017/2 भाद्रपद,1939 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2016 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस(बेतार)/ उप अधीक्षक पुलिस(बेतार), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह-डी-बी(1)-17/82-IV दिनांक 01.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.02.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-ए(1)-1/2010 दिनांक 28.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2016 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(2)-7/2008 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-7/2013 दिनांक 09.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.12.2016 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-9/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-10/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-4/2010 दिनांक 08.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2016 को प्रकाशित;

(x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (योजना) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-5/2013 दिनांक 12.12.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.12.2016 को प्रकाशित;

(xi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डाटा एंट्री ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(2)-2/2008 दिनांक 09.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.03.2016 को प्रकाशित;

(xii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह (सतर्कता)ए(3)-22/2016 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.07.2017 को प्रकाशित; और

(xiii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 54 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह(सतर्कता)ए(3)-8/2016 लोकायुक्त नियम, दिनांक 20.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.05.2017 को प्रकाशित ।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह,सभापति,लोक लेखा समिति,(वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **337वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 371वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;और

(ii) समिति के **29वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 79वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **33वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **आवास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **34वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **78वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **79वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **80वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **81वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्या:3.1 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(4) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **17वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 37वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है;और

(ii) समिति के **19वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **23वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 41वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(5) श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **37वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **38वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **भू-राजस्व विभाग** से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

(6) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(7) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि विद्युत विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984(1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 13)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 11)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम,2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 33) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 10)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017

(2017 का विधेयक संख्यांक 9)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 23 अगस्त, 2017 **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

सोलहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 24 अगस्त, 2017, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री गुलाब सिंह ठाकुर	**This House recommends to the State Government for taking up the matter with the Union Government for immediate constitution of an Committee consisting of experts of Punjab State Power Corporation Ltd., Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. and the authorized Agency of the Central Government to ensure maintenance, renovation and power generation longevity of Shanan Hydro Electric Project, Joginder Nagar (H.P.) in these concluding years of the lease in view of its fastly deteriorating condition and diminishing interest of Punjab State Power Corporation Ltd."**
2.	श्री इन्द्र सिंह	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में कुपोषण व तनाव इत्यादि के कारण अधिकतर बच्चों में बढ़ रहे बोनेपन और कम वजन की समस्या को दूर करने हेतु सरकार कारगर कदम उठाए।
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जिस पर दिनांक 9-3-2017 को सदन में चर्चा हुई का माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे ।		
	श्री महेश्वर सिंह	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों हेतु प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर समाज के कमजोर वर्गों के पुर्नवास हेतु नीति बनाए ।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

* * * *